भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकार के मुंह में योगी के दरोगा ने किया पेशाब

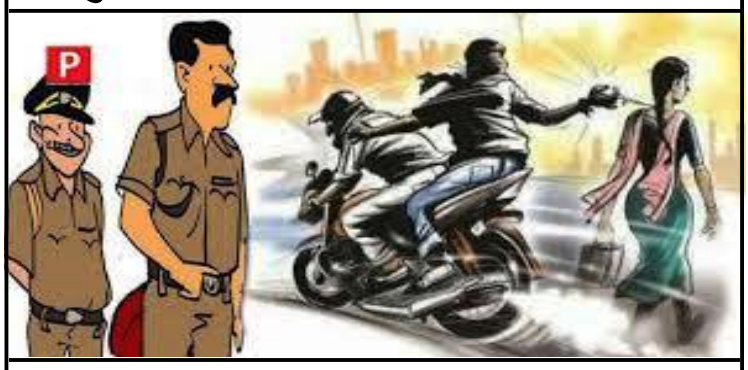

जनज्वार। पुलिस वालों की दबंगई आये दिन बढ़ती जा रही है। आम जनता तो छोड़िए अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ भी वो अमानवीयता और गुंडागर्दी पर उतारू हो गये हैं। कठुआ कांड में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और नृशंस हत्या में पुलिसवाले शामिल थे, इसके अलावा और अनगिनत घटनाओं में उनकी गुंडागर्दी जगजाहिर हो चुकी है।

हालिया मामला उत्तर प्रदेश के शमली का है, जहां कल 11 जून को शामली में जीआरपी एसएचओ राकेश कुमार ने न्यूज 24 के पत्रकार अमित शर्मा के साथ न केवल मारपीट, गुंडागर्दी की बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। पीड़ित पत्रकार के मुताबिक एसएचओ राकेश कुमार के इशारे पर उन्हें नंगा कर न केवल उनके साथ अमानवीय कृत्य किया गया, बल्कि जबरन मुंह में पेशाब किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अवैध वेंडर के खिलाफ एक खबर की थी, जिस कारण पुलिसवाले नाराज थे।

फिलहाल इस मामले में पिटाई करने के मुख्य आरोपी जीआरपी एसएचओ राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। राकेश कुमार के अलावा कॉन्स्टेबल संजय पवार को भी पत्रकार के साथ गुंडागर्दी और अमानवीयता के लिए सस्पेंड किया गया है।

लॉकअप में बंद पत्रकार बाकायदा एसओ की मौजूदगी में बता रहा है कि उसके मुंह में पेशाब किया गया है, मगर मीडिया के सामने योगी सरकार का यह एसएचओ कहता है जो दिखाना है दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है।

घटनाक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पत्रकार अमित शर्मा पटरी से उतरी मालगाड़ी की कवरेज करने गए थे। इसी दौरान जीआरपी एसएचओ राकेश कुमार और कॉन्स्टेबल संजय पवार ने उनके साथ बदसलूकी की, जब अमित शर्मा ने भी उन्हें जवाब दिया तो उन्हें खींचकर जीआरपी हिरासत में ले गये और वहां न केवल उनको पीटा गया, बल्कि उन्हें नंगा कर उनके मुंह में पेशाब कर दिया।

इस घटना के खिलाफ पत्रकारों ने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

अमित शर्मा कहते हैं कि जिन पुलिसकर्मियों एसएचओ राकेश कुमार और कान्स्टेबल संजय पवार ने उनके साथ यह बदसलूकी और अमानवीयता, गुंडागर्दी की वे सादी वर्दी में थे और उन्होंने घटनास्थल पर ही गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। अमित शर्मा के अलावा अन्य मीडियाकर्मियों का माइक भी छीन लिया गया। अमित शर्मा की पिटाई का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पत्रकार अमित शर्मा ने आरोप लगाया है कि जब वो घटना का फोटो खींच रहे थे तो पुलिसवाले उनसे कैमरा छीनने लगे। इसी छीनाझपटी में कैमरा भी टूट गया। वह कैमरा उठाने के लिए झुके तो सादी वर्दी में वहां मौजूद एसएचओ राकेश कुमार ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और भद्दी भद्दी गालियां दीं।

पुलिसकर्मी अमित शर्मा को करीब 200 मीटर तक पीटते हुए ले गये और उसके बाद लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में बंद करने के बाद मुंह में पेशाब कर दिया। पुलिसवालों ने उनके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अवैध वेंडर के खिलाफ खबर की थी, जिससे पुलिसवाले उनसे नाराज थे और उन्हें डराना-धमकाना चाहते थे ताकि भविष्य में वो भ्रष्टाचार उजागर न करें।

सुप्रीम कोर्ट की अधूरी कवायद:पत्रकार कनोजिया रिहा, अपहरणकर्ता पुलिस पर चुप्पी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते कनोजिया को 12 जून को जेल से रिहाई नसीब हुई। यानी पत्रकार उस अपराध के लिये चार दिन पुलिस व जेल हिरासत में रह आया जो काबिले गिरफ़्तारी नहीं था। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट से देर शाम को मिले रिहाई आदेश को अगले दिन बजरिया हवाई जहाज लेकर उनकी पत्नी को लखनऊ जाना पड़ा। वहां के अदालत में जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के बाद देर शाम तक कनोजिया रिहा हो पाये। क्या एक पत्रकार के लिये इतनी आर्थिक व मानसिक सज़ा कम है? इसके अलावा लखनऊ की अदालतों में उन्हें वर्षों तक घसीटा जायेगा वह अलग से। दूसरी ओर जिस पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पत्रकार का अपहरण किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। फ़िर भी लोग क्यों आभारी हैं इस न्याय व्यवस्था के ढकोसले से?

नई दिल्ली (म.मो.) दिनांक 8 जून को यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस दिन-दहाड़े दिल्ली से पत्रकार प्रशान्त कनोजिया को, डकैतों की तरह, उनके घर से उठा कर लखनऊ ले गयी थी। वहां के थाने में मानहानि, अफ़वाह फ़ैलाने आदि की धाराओं में एक पर्ची एफ़आईआर दर्ज करके अगले दिन स्थानीय कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने बिना दिमाग लगाये उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताने की जरूरत नहीं कि जब पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी करती है तो टॉर्चर कितना करती है।

इस बाबत 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी जिस पर 11 जून को सुनवाई करके सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार की जमानत पर रिहाई के आदेश जारी करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कायम किया गया मुकदमा चलता रहेगा।

मुकदमा चलता रहने से कोई एतराज नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के उस कुकृत्य से क्यों आंखे फ़ेर ली जिसके द्वारा वह पत्रकार को उठा कर ले गयी थी?

यदि किसी ने कत्ल भी किया हो तो उसकी भी गिरफ़्तारी का नियम कानून की किताब में लिखा है। उसके अनुसार लखनऊ पुलिस को दिल्ली पुलिस के साथ मिल कर पत्रकार को गिरफ़्तार करके स्थानीय कोर्ट में पेश करना चाहिये था। वहां से राहदारी रिमांड प्राप्त करके पत्रकार को लखनऊ ले आना चाहिये था। इसके अलावा स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी के लिये गाइड लाइन जारी कर रखी हैं। इनके मुताबिक असंज्ञेय अपराधों में तो गिरफ़्तारी होगी ही नहीं और यदि सात वर्ष से कम सजा के संज्ञेय अपराधों में गिरफ़्तारी होगी भी उस के लिये पुलिस बाकायदा तमाम शर्तें पूरी करेगी।

इस मामले में न तो पत्रकार ने कोई संज्ञेय अपराध किया था और न ही पुलिस ने गिरफ़्तारी से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूरी की। और तो और लखनऊ की अदालत की भी हिम्मत नहीं हुई जो पुलिस की इस गुंडागर्दी पर सवाल खड़ा करती। उसने भी पत्रकार को जेल भेजने में ही अपनी भलाई समझी। समझे भी क्यों नहीं जब खुद सर्वोच्च न्यायालय पुलिस की इस गुंडागर्दी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो मैजिस्ट्रेट की तो औकात ही क्या।

इस तरह का यह न तो पहला मामला है न आखरी, पुलिस आये दिन देश भर में इसी तरह के गुंडागर्दी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। बमुश्किल कोई इक्का-दुक्का केस ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच पाता है, बस उस मामले में नागरिक की रिहाई करके ये न्यायालय अपनी पीठ थपथपाते हुये नागरिक अधिकारों की संरक्षक होने का ढोल पीटती रहती हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में ही न्याय के प्रति ईमानदार होती तो अपहरणकर्ता पुलिस व आदेश देने वाले उच्चाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराती।

पत्रकार रूपेश की गिरफ्तारी पर चुप्पी क्षेत्रीय पत्रकारिता को नुकसान पहुंचाएगी

(विशेष ब्यूरो रिपोर्ट)

पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। सिविल सोसाइटी, प्रेस क्लब, प्रशांत की पत्नी और उन सभी प्रगतिशील लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने प्रशांत की गिरफ्तारी का विरोध किया।

प्रशांत से पहले बिहार के पत्रकार रूपेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। प्रशांत की रिहाई के मांग के साथ रूपेश को भी रिहा करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद ' 'रिलीज़ प्रशांत, रिलीज़ रूपेश कुमार सिंह'' हैशटैग नेपथ्य में जा चुका है। वजह? रूपेश की गिरफ्तारी बाकी पत्रकारों की गिरफ्तारी से कई मामलों में अलग है।

रूपेश को किसी गैर-जिम्मेदार ट्वीट या अपुष्ट ख़बर अथवा दावे को प्रसारित करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें लगातार आदिवासियों के शोषण पर लिखने और उसके माध्यम से सरकार का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। रूपेश की गिरफ्तारी की तफ्तीश करने से जाहिर होता है कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत रूपेश को फंसाया गया है।

रुपेश की पत्नी की ओर से सोशल मीडिया पर जो विवरण आया है, उसके मुताबिक 4 जून की सुबह 8 बजे रूपेश अपने दो साथियों मिथिलेश कुमार सिंह और मुहम्मद कलाम के साथ घर से औरंगबाद के लिए निकले। दो घंटे बाद तीनों का मोबाइल ऑफ पाया गया। परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। 5 जून को रूपेश के परिवार

वालों ने रामगढ़ थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इसी दिन रामगढ़ पुलिस रूपेश का मोबाइल घर से ये कह कर ले गयी कि जांच मे जरूरत है और इसे दो घंटे में लौटा दिया जाएगा। यह मोबाइल अब तक नहीं लौटाया गया है।

अगले दिन 6 जून को मिथिलेश का फोन आया कि वे ठीक हैं और घर आ रहे हैं, लेकिन तीनों घर नहीं पहुंचे। रामगढ़ पुलिस ने तीनों को ढूंढने के लिए स्पेशल टीम भी बनाने की बात कही और परिवार से गुजारिश की गई अगर ये लोग घर पहुंच जाएं तो तुरन्त पुलिस को इत्तला दे दी जाए।

अगले दिन 7 जून को अखबार में खबर छपी- "विस्फोटक के साथ तीन हार्डकोर नक्सली रूपेश कुमार सिंह, मिथलेश कुमार सिंह और मुहम्मद कलाम को शेरघाटी-डोभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है''।

आगे बढ़ने से पहले रूपेश के बारे में संक्षेप में जानना ज़रूरी है। रूपेश छात्र जीवन में छात्र संगठन आइसा से जुड़े रहे हैं। कुछ साल पहले आइसा से वैचारिक मतभेद होने पर उन्होंने संगठन से दूरी बना ली थी। अपने क्षेत्र में रह कर वे लिखने-पढ़ने के काम में लग गए थे। कहीं किसी अखबार में उन्होंने नौकरी तो नहीं की, लेकिन तमाम पत्र-पत्रिकाओं में अपने लेखन के माध्यम से आदिवासियों और दलितों के सवाल लगातार उठाते रहे। वामपंथी छात्र संगठन का अतीत होने के चलते उनके ऊपर नक्सली होने का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल उन अखबारों पर है जिन्होंने कथित नक्सलियों की गिरफ्तारी की खबर छापने से पहले सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा, जो 4 से 7 जून के बीच हुए घटनाक्रम पर स्वाभाविक तौर पर बनते हैं।

मसलन, अगर शेरघाटी पुलिस ने उन्हें 6 जून को गिरफ्तार किया तो रामगढ़ की पुलिस उन्हें ढूंढने की बात कैसे कह रही थी? गुमशुदगी के दौरान तीन दिनों तक रूपेश और उनके साथियों को कहां रखा गया? रामगढ़ पुलिस, जिसने मोबाइल दो घंटे में वापस करने की बात कही थी, उसे क्यों नहीं लौटाया गया? इन सवालों का न उठना इस बात की ताकीद करता है कि रूपेश की गिरफ्तारी क्षेत्रीय पत्रकारिता में फैले सन्नाटे को बढ़ाएगी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली के पत्रकार संगठन, कथित राष्ट्रीय मीडिया में भारी तनख्वाह पर आरामदायक नौकरी कर रहे पत्रकार अगर यह सोचते हैं कि उनकी सेलेक्टिव नैतिकता के हो-हल्ले में रूपेश का सवाल चुपचाप नेपथ्य में जाकर चन्द दिनों के भीतर खत्म हो जाएगा, तो यहां दिल्ली के पत्रकार भारी भूल कर रहे हैं। उनकी सेलेक्टिविटी न सिर्फ रूपेश को सलाखों को पीछे पहुंचाने में मदद करेगी, बल्कि क्षेत्रीय पत्रकारिता में बची-खुची जनपक्षधर आवाजों को भी खत्म कर देगी।

सवाल केवल दिल्ली पर नहीं है, रांची जैसे महानगर के पत्रकारों पर भी है जिनके बीच इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि रूपेश पत्रकार है या नहीं। यह संशय दरअसल पिछले दिनों राजद्रोह के मुकदमे में झारखण्ड से हुई सिलसिलेवार गिरफ्तारियों से उपजे डर का नतीजा है, बल्कि यों कहें कि अपने संशय और चुप्पी की आड़ में झारखंड के पत्रकार अपने भीतर के डर को पोसने का काम कर रहे हैं।

' 'रिलीज रूपेश'' का हैशटैग जैसे-जैसे नेपथ्य में जाएगा, सत्ता का अट्टहास नेपथ्य से निकल कर सामने आएगा। फिर क्षेत्रीय पत्रकारिता के सामने जैसा संकट खड़ा होगा? उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के शामली में एक चैनल के पत्रकार की जीआरपी द्वारा की गई पिटाई इस बात का सबूत है कि रेल हादसे जैसे मामूली घटना की कवरेज करने वाला स्थानीय स्ट्रिंगर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि उत्पीड़न के लिए पत्रकार का लिखना-पढ़ना ज़रूरी नहीं, वह बिना लिखे-पढ़े भी फंसाया जा सकता है। फिर रूपेश तो विवेकवान, जनपक्षधर और मेधावी लेखक हैं। ऐसे लेखक-पत्रकार तो सत?ता को बहुत पहले रास आने बंद हो गए, केवल वही बचे हुए हैं तो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर लहालोट हो कर छापें।

रूपेश या अन्य के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए किसी जातिगत, निजी या वैचारिक हित से संचालित होने की जरूरत नहीं है। केवल गलत को गलत कहने का साहस चाहिए। यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक जैसा माहौल बन रहा है, उसमें जातिगत या वैचारिक आधार पर चुप्पी लगा जाने वाले भी कल को नहीं बचेंगे। खुद को बचाना है तो दूसरे के लिए बोलना पड़ेगा। चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो या रांची।